

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

बाराबंकी में पुलिस ने गैंगस्टर अभिजीत शर्मा की करोड़ों की संपत्ति जब्त की, मुनादी के साथ की कार्रवाई

Publisher

Published on 18 Oct 2025



बाराबंकी जिले में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर **अभिजीत शर्मा** के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभिजीत शर्मा की लगभग 1.30 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की और मुनादी पीटकर जनता के समक्ष संपत्तियों को कब्जे में लिया।

जानकारी के अनुसार, अभिजीत शर्मा ने वर्षों से बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई थी। वह विभिन्न प्रकार की फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों के जरिए जमीन और मकान खरीदते और उन्हें अपने नाम दर्ज करवा लेते थे। पुलिस प्रशासन ने लंबे समय से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी थी और अब एक ठोस योजना के तहत कार्रवाई की गई।

मुनादी पीटकर संपत्ति कब्जे में लेने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी और सभी संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई केवल अभिजीत शर्मा के खिलाफ ही नहीं, बल्कि ऐसे सभी गैंगस्टरों और अपराधियों के लिए संदेश है, जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं।

कुर्क की गई संपत्ति में आवासीय और व्यावसायिक जमीन, प्लॉट और कुछ चल संपत्ति शामिल है। प्रशासन ने इसे तुरंत सरकारी नियंत्रण में ले लिया ताकि कोई भी अवैध गतिविधि इससे प्रभावित न हो सके। इस कार्रवाई के बाद अभिजीत शर्मा की आर्थिक ताकत कमजोर हुई है और उसके खिलाफ आगे भी और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभिजीत शर्मा पर पहले भी विभिन्न मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसने कभी नहीं सुधरा और लगातार अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करता रहा। प्रशासन ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने से समाज में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी।

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने जनता के समक्ष यह संदेश दिया कि किसी भी अपराधी को उसके अवैध तरीकों से अर्जित धन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुनादी के माध्यम से कार्रवाई करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग इस कदम से अवगत हों और कानून के प्रति जागरूक हों।

गैंगस्टर अभिजीत शर्मा की संपत्ति कुर्क करने की यह कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे पुलिस की सक्रियता और कानून के प्रति सख्ती का प्रतीक मान रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि भविष्य में ऐसे अपराधियों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका कोई भी अवैध साधन सुरक्षित नहीं रहेगा।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है तो पुलिस प्रशासन उसे नहीं बख्सेगा। अभिजीत शर्मा की संपत्ति कुर्क करने का यह कदम बाराबंकी जिले में अपराधियों के लिए एक चेतावनी माना जा रहा है।

पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के माध्यम से समाज को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अभिजीत शर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई न्यायालय की अनुमति के बाद की गई है और प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएं। इस प्रकार, बाराबंकी पुलिस की यह कार्रवाई न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि सामान्य जनता के लिए भी यह संदेश है कि कानून अपने स्थान पर है और किसी को भी कानून के खिलाफ जाने की छूट नहीं है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.